अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

जन अनुशासन पखवाड़ा

आवश्यक नये दिशा निर्देश

25 अप्रैल (प्रातः 5 बजे से) से 3 मई (प्रातः 5 बजे तक), 2021 तक प्रभावी

इन निर्देशों में वर्णित कोई भी छूट हॉट-स्पॉट, कन्टेनमेन्ट जोन व क्लस्टर्स जैसे कर्फ्यू वाले इलाकों में लागू नहीं होगी।

कोरोना गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे। सम्पूर्ण गाइडलाइन्स https://covidinfo.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

दुकानों/खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में अनुमति

- सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
- किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार एवं गुरूवार को प्रातः 6 से प्रातः 11 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
- मंडियां, फल एवं सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों एवं फलों का विक्रय प्रतिदिन इसी समय सीमा में अनुमत होगा।
- डेयरी एवं दूध की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः 6 से 11 एवं शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी।

राजस्व अर्जन सम्बन्धी कार्यालय

- वाणिज्यिक कर विभाग, **RSBCL** तथा **RSGSM**, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं अन्य सभी अनुमत कार्यालय जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान गृह विभाग के आदेश दिनांक 23.04.2021 के अनुसार सायं 4:00 बजे तक खुले रहेंगे।
- **Public Dealing** का कार्य मध्याह्न 2:00 बजे तक ही रहेगा। उपरोक्त विभागों से सम्बन्धित राजस्व संग्रहण गतिविधियां पूर्व की भांति निरन्तर जारी रहेंगी।

विवाह समारोह के सम्बन्ध में अनुमति

- विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। जिसमें 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। शादी-समारोह से संबंधित पूर्व में दिए गए कपड़े सिलाई, आभूषण आदि के ऑर्डर की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
- विवाह की सूचना पर उपखण्ड अधिकारी किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल भेजकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनेटाइजेशन एवं उपस्थित व्यक्तियों की संख्या की निगरानी करा सकेंगे। उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्बन्ध में अनुमति

- निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी।
- सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित थोक एवं खुदरा आउटलेट को अपने यथा समय तक खोलने की अनुमति होगी।

कार्यालयों के सम्बन्ध में अनुमति

- पूर्व में सम्मिलित विभागों के साथ-साथ वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद, पशुपालन तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT&C) को भी शामिल करते हुए अनुमत कार्यालयों का समय शाम 4 बजे तक रहेगा।
- कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता होने पर कार्यालय अध्यक्ष को राज्य स्तर पर गृह विभाग एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।
- पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे पशु चिकित्सक एवं स्टाफ, बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन आदि अनुमत होंगे।

माल/परिवहन सेवाएं व आवागमन के सम्बन्ध में अनुमति

- मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। यह आदेश 26 अप्रैल,2021 की प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा।
- बसों को छोड़कर निजी यात्री वाहन केवल आपात स्थिति या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ड्राईवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमत होंगे।
- निजी बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमत होगा। कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा।
- शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान अनुमत गतिविधियां जैसे अत्यावश्यक सेवाएं, अस्पताल आने-जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधित गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड से आने-जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।

निर्माण गतिविधियों के सम्बन्ध में अनुमति

- निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की सप्लाई की जा सकेगी।

सेवाओं के सम्बन्ध में अनुमति

- ई-मित्र एवं आधार केंद्र खोले जा सकेंगे।
- बैंक बीमा एवं माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी। जहां तक संभव हो इन संस्थाओं द्वारा न्यूनतम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाएगा।

खनन गतिविधियों के सम्बन्ध में अनुमति

- खनन गतिविधियां यथावत जारी रहेंगी। खनन गतिविधियों को गृह विभाग के आदेश दिनांक 14.04.2021 के अनुसार फैक्ट्रियों की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए इन पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू नहीं होगा।

राजस्थान संवाद

सभी जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर 'नो मास्क-नो मूवमेंट' की सख्ती से पालना सुनिश्चित करेंगे।

45 वर्ष व उससे अधिक आयु वाले वैक्सीन जरुर लगवायें

टोल फ्री 104/108 | पहनिए मास्क | धोइए हाथ | रखिए दो गज दूरी | कोरोना वॉर रूम 181

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 30 अप्रैल 2021 तक रजिस्ट्रेशन जरूर करवायें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान